

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 06 फरवरी, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-20/2024-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॅरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 20) को दिनांक 04-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2025 का अधिनियम संख्यांक 18.

कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.—कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

3. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।” शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2024**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Act No. 18 of 2025.

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 04TH FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 12 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.
